दिनांक 03.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 03/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना नानौता

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 70 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूट के एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, बैक का चेक, पर्स आदि**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.06.2021 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काशीपुर नगर पुल के पास से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–अफजाल 2–आमिर 3–सागर उर्फ अरमान 4–शाहरूख को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 70 हजार 500 रूपये नगद, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, बैक चेक, पर्स, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 31.05.2021 को थाना नानौता क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 170/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अफजाल निवासी अफगानान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

2–आमिर निवासी बुन्दुगढ थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

3–सागर उर्फ अरमान निवासी एलम थाना काधला जनपद शामली।

4–शाहरूख निवासी बुन्दुगढ थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लूट के 70 हजार 500 रूपये नगद।

2–लूट के एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, बैक चेक, पर्स आदि।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 02 खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

जनपद मथुरा/थाना बल्देव

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की लगभग 08 लाख रूपये कीमत की 700 पेटी बियर**
- **लूट के 02 हजार 400 रूपये नगद, 01 कैण्टर**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 2/3.06.2021 की रात्रि थाना बल्देव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–श्यामसुन्दर 2–जतिन गोला उर्फ रितिक 3–पुष्पेन्द्र को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की लगभग 08 लाख रूपये कीमत की 700 पेटी बियर, 02 हजार 400 रूपये नगद, 01 कैण्टर, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त श्यामसुन्दर के विरूद्ध दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 31.05.2021 को थाना बल्देव क्षेत्रान्तर्गत 03 अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बल्देव पर मु0अ0सं0 147/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बियर, रूपया व कैण्टर उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बल्देव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—श्यामसुन्दर निवासी करनाल बाईपास स्वरूप नगर भट्टा रोड गली नं0—13 थाना स्वरूप नगर दिल्ली।

2—जतिन गोला उर्फ रितिक निवासी पटना पक्षी बिहार थाना जलेसर जनपद एटा।

3—पुष्पेन्द्र निवासी पटना पक्षी बिहार थाना जलेसर जनपद एटा।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट की लगभग 08 लाख रूपये कीमत की 700 पेटी बियर।

2—लूट के 02 हजार 400 रूपये नगद।

3—लूट का 01 कैण्टर।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस।

5—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद अमेठी/थाना अमेठी, थाना रामगंज

- **25 हजार रूपये व 15—15 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.06.2021 को थाना अमेठी व थाना रामगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बनकटवा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—कन्हैया लाल उर्फ गोकुल 2—संदीप 3—नन्हे उर्फ राकेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध थाना अमेठी पर हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त थाना अमेठी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 197/2021 धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिसमें अभियुक्त कन्हैया लाल उर्फ गोकुल की गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रूपये एवं अभियुक्त संदीप व नन्हे उर्फ राकेश की गिरफ्तारी हेतु 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अमेठी द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कन्हैया लाल उर्फ गोकुल निवासी बनकटवा थाना अमेठी जनपद अमेठी।

2—संदीप निवासी दुजई का पुरवा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

3—नन्हे उर्फ राकेश निवासी बनकटवा थाना अमेठी जनपद अमेठी।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 03.06.2021 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मैनपुरी चौराहा से सिरसागंज की तरफ सर्विस रोड पर खोखा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 213/2021 धारा 395/412 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी नगला किशी थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद बिजनौर/थाना स्योहारा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.06.2021 को थाना स्योहारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बूढा नंगला से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जोगेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध धोखाधडी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना स्योहारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 284/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जोगेन्द्र निवासी बूढा नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद जौनपुर/थाना बक्शा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.06.2021 को थाना बक्शा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौपेड़वा मई मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरविन्द को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बक्शा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरविन्द निवासी कानामऊ थाना खुटहन जनपद जौनपुर।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना अर्मापुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.06.2021 को थाना अर्मापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोहे की पुलिया के पास अरमापुर इस्टेट से पुरस्कार घोषित अभियुक्त जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना अर्मापुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अर्मापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र निवासी अरमापुर इस्टेट कानपुर नगर हालपता मसवानपुर थाना कल्यानपुर जनपद कानपुर नगर।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना कटरा

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 150 ग्राम अवैध स्मैक**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलोग्राम अवैध अफीम**
- **11 हजार 550 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.06.2021 की रात्रि थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कटरा चौराहे के पास से चेकिंग के दौरान 03 मादक पदार्थ तस्कर 1–नौशाद 2–चंगेज 3–परवेज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 150 ग्राम अवैध स्मैक, 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलोग्राम अवैध अफीम, 11 हजार 550 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त चंगेज खाँ शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बदायूँ, अलीगढ, शाहजहाँपुर एवं उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नौशाद निवासी मो0 बंगशान कस्बा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

2–चंगेज निवासी चाहशीरी कस्बा व थाना सहसवान जनपद बदायूं।

3–परवेज निवासी मानकपुर थाना उझानी जनपद बदायूं।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 60 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 150 ग्राम अवैध स्मैक।

2–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलोग्राम अवैध अफीम।

3–11 हजार 550 रूपये नगद।

4–03 मोबाइल फोन।

5–01 चार पहिया वाहन।

6–01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना कटरा</u>

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की डेढ़ किलोग्राम अवैध अफीम आदि बरामद**

दिनांक 02.06.2021 की रात्रि थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कसरक फाटक के पास से चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्कर नजीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की डेढ़ किलोग्राम अवैध अफीम आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नजीम निवासी मो0 केलरगंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 75 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की डेढ़ किलोग्राम अवैध अफीम आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–2

- **03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत की 01 कुन्तल गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 2/3.06.2021 को थाना फेस–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मण्डी के पीछे सर्विस रोड के पास से 03 मादक पदार्थ तस्करों 1–सोनू 2–राजू उर्फ राजकुमार 3–सूरज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत की 01 कुन्तल गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार के विरूद्ध हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी लखनावली थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

2–राजू उर्फ राजकुमार निवासी नरौली थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर।

3–सूरज निवासी रमपुरा थाना करहल जनपद मैनपुरी हालपता गढी चौखण्डी सेक्टर–68 थाना फेस–3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल गांजा।

2–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

जनपद फिरोजाबाद/थाना पचोखरा

- **विद्युत तार चोरी करने वाले 13 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 08 कुन्टल 17 किलो विद्युत तार**
- **35 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 05 कारतूस**
- **02 चार पहिया, 01 तीन पहिया, 03 दो पहिया वाहन**
- **तार काटने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 02.06.2021 को थाना पचोखरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रामनगर पुलिया के पास से विद्युत तार चोरी करने वाले 13 अभियुक्तों 1—रमेश उर्फ पप्पू उर्फ नेता 2—राहुल उर्फ पिन्टू 3—रविन्द्रपाल उर्फ रिंकू 4—ज्ञान सिंह उर्फ तोतला 5—शिवशंकर 6—लायक सिंह 7—तारा 8—माता प्रसाद 9—विजय 10—बबलू उर्फ आकाश 11—सूरज 12—विष्णू 13—राजकुमार को गिरफ्तार कर चोरी की कई घटनाओ का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 08 कुन्टल 17 किलो विद्युत तार, 35 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 05 कारतूस, 02 चार पहिया, 01 तीन पहिया, 03 दो पहिया वाहन, तार काटने के उपकरण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त लायक सिंह के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, मथुरा, एटा के विभिन्न थानो में चोरी, विद्युत तार चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन से अधिक अभियोग एवं शेष अभियुक्तों के विरूद्ध चोरी/विद्युत तार चोरी के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद विद्युत तार जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में पंजीकृत कई विद्युत तार चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पचोखरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रमेश उर्फ पप्पू उर्फ नेता निवासी मोहम्दाबाद थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

2—राहुल उर्फ पिन्टू निवासी हलपुरा थाना मटसैना जनपद फिरोजाबाद।

3—रविन्द्रपाल उर्फ रिंकू निवासी बाकुन्दाखास थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।

4—ज्ञान सिंह उर्फ तोतला निवासी आसफाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

5—शिवशंकर निवासी मोहम्दाबाद थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

6—लायक सिंह निवासी खन्जापुर थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

7—तारा निवासी इसोली थाना समसाबाद जनपद आगरा।

8—माता प्रसाद निवासी इसोली थाना समसाबाद जनपद आगरा।

9—विजय निवासी पतरायी थाना कुन्ठौद जनपद जालौन।

10—बबलू उर्फ आकाश निवासी गली नं0—6 डाक बंगला थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

11—सूरज निवासी गली नं0—7 नीबू वाला बाग थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।

12—विष्णू निवासी अनुरागनगर बकेश्वर थाना कमलानगर जनपद आगरा।

13—राजकुमार निवासी अनुरागनगर बकेश्वर थाना कमलानगर जनपद आगरा।

बरामदगी

1—चोरी के 08 कुन्टल 17 किलो विद्युत तार।

2—35 हजार रूपये नगद।

3—02 अवैध तमंचा 05 कारतूस।

4—02 चार पहिया वाहन।

5—01 तीन पहिया वाहन।

6—03 दो पहिया वाहन वाहन।

7—तार काटने के उपकरण आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना गोविन्द नगर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 21 हजार 20 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 टीवी**
- **चोरी का लैपटाप**
- **01 डीसीएम, 01 लोडर वाहन आदि बरामद**

दिनांक 03.06.2021 को थाना गोविन्दनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बडी नहर की कच्ची पटरी के पास से 06 अभियुक्तों 1—अजय 2—सुमित उर्फ मल्लू 3—रोहित 4—सुमित 5—अन्नू 6—पुनीत कुमार उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 21 हजार 20 रूपये नगद, चोरी की 01 टीवी, लैपटाप, 01 डीसीएम, 01 लोडर वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना गोविन्द नगर क्षेत्र में हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना गोविन्द नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, टीवी, लैपटाप आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोविन्द नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय निवासी बिरगवा थाना शाहजहाँपुर जनपद झाँसी, हालपता 142बी के पीछे नहर पटरी दादानगर थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर

2—सुमित उर्फ मल्लू निवासी जसपुरापुर सरईया थाना तिर्वा जनपद कन्नौज, हालपता 141बी के पीछे नहर पटरी दादानगर थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर

3—रोहित निवासी 142बी के पीछे नहर पटरी गोविन्द नगर थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर।

4—सुमित निवासी 142बी के पीछे विवेकानन्द नगर थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर

5—अन्नू निवासी 146बी के पीछे विवेकानन्द नगर नहर पटरी थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर।

6—पुनीत कुमार उर्फ लाला निवासी रविदास पुरम गुजैनी थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 21 हजार 20 रूपये नगद।

2—चोरी की 01 टीवी।

3—चोरी का लैपटाप।

4—01 डीसीएम।

5—01 लोडर वाहन आदि।

एस0टी0एफ0— प्रतापगढ़ के भयाम बिहारी गली में दिन दहाड़े हुई 90 लाख की डकैती की सनसनीखेज घटना का मास्टर माइन्ड, अन्तर्प्रान्तीय सुपारी किलर व रू0 50,000/— रूपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त शाहिद अली गिरफ्तार।

दिनांक—03—06—2021 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में दिन दहाड़े ज्वैलर्स की दुकान में लूट की सनसनीखेज घटना में पंजीकृत मु0अ0सं0—21/2021 धारा—395/397/120बी/412/504/506 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ में वांछित व इसी अभियोग में रू0 **50,000/— का पुरस्कार घोषित** अभियुक्त/मास्टर माइन्ड **शाहिद अली उर्फ बाबा** को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :—

शाहिद अली उर्फ बाबा पुत्र सामुद अली, निवासी ग्राम काछा भडरा, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी :—</u>

1— 01 अदद तमन्चा (315 बोर)।
2— 03 अदद जिन्दा कारतूस (315 बोर)।
3— 01 अदद मोबाइल।
4— नकद 530/— रूपया।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक व समय</u>

भूपियामऊ लालगंज मार्ग पर A.T.L गेट के पास, दिनांकः—03—06—2021 समय 12.30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 03—06—2021 को फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर से ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0—21/2021 का वांछित व इसी अभियोग में रू0 50,000/— पुरस्कार घोषित अपराधी एवं ज्वैलर्स की दुकान में हुई 90 लाख की डकैती का मास्टर माइन्ड शाहिद अली उर्फ बाबा पुलिस से बचकर भागने की फिराक में भूपियामऊ लालगंज मार्ग पर A.T.L गेट के पास किसी सवारी गाड़ी का इन्तजार कर रहा है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उ0नि0 श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मु0आरक्षी अमित शर्मा, आरक्षी संतोष कुमार, किशन चन्द्र, दिलीप सिंह व आरक्षी कमाण्डो नासिर की टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर पहुँचकर आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग कर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई है।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद अली उर्फ बाबा उपरोक्त ने बताया कि लूट की घटना में शामिल शेबु, शुभम, इरशाद उर्फ गुड्डू और नावेद से मैंने सम्पर्क कर उनके पास मौजूद लूट का सोना बिकवाने के लिए मैं और नावेद से मिलकर लूट का सोना बिकवाया तथा सोना बेचने पर मिले रूपये को आपस में हम लोगों ने बांट लिया। उसके बाद शेबू और शुभम को मैंने वापी, गुजरात में किराये का कमरा दिलाया, जहॉ वह लोग छिपकर रहने लगे। बाद में धीरे—धीरे मुझको छोड़कर सभी लोग पकड़े

गये। मुझे फरवरी 2021 में ही ज्ञात हो गया था कि मेरे ऊपर 50 हजार रूपये का पुरस्कार हो गया है फिर मैं गुजरात, मुम्बई, दिल्ली, में छिप–छिप कर रहने लगा। इस बीच मैं घर आया था तथा लाकडाउन समाप्त होने के बाद पुनः गुजरात भागने की फिराक में था कि आप लोगों द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

मजीद पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि जनपद प्रतापगढ़ के जेठवारा थाने में मेरे ऊपर कई मुकदमें है, जिसमें मुख्य रूप से वर्ष 2010 में मैंने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने बड़े अब्बा बशीर पुत्र हनीफ, निवासी भड़रा काछा पर जमीन व नाली के विवाद में जान लेवा हमला किया था, जिसका मुकदमा जेठवारा थाने में पंजीकृत है।

वर्ष 2013 में मैंने, शमशाद एवं अशफाक के साथ मिलकर दीपू प्रधान डोभीपुर, थाना जेठवारा के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया था।

वर्ष 2015 में मैंने अपने पिता सामुद अली व शमशाद के साथ मिलकर कोटेदार राजकुमार पुत्र विजय बहादुर, निवासी ग्राम काछा शुक्लपुर, थाना जेठवारा के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया था, जिसके सम्बन्ध में थाना जेठवारा में मुकदमा पंजीकृत है।

वर्ष 2019 में मैं अपने साथी तौसीम के साथ प्रतापगढ़ पुलिस पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें मेरे ऊपर कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ में मुकदमा पंजीकृत है।

इसके अलावा वर्ष 2017 में मैंने अपने साथी कयाम पुत्र बशीर, हारिश पुत्र लियाकत अली, निवासी हैदरपुर, तौसीम पुत्र लियाकत अली, निवासी बेलाही व नागेन्द्र यादव, निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर **सूरत के सीमेन्ट व्यवसायी लक्षमन, निवासी इटावा, उ0प्र0 की हत्या, सूरत (गुजरात) के सचिन थाना क्षेत्र में गला दबाकर एवं रस्सी से बांधकर कर लाश को नाले में फेंककर भाग गये थे। इसके लिए हम लोगों को सूरत के सीमेन्ट व्यवसायी नागेन्द्र से लक्षमन की हत्या की सुपारी के 20 लाख रूपये मिले थे।**

वर्ष 2018 में मैंने अपने साथी कयाम, हारिश, तौसीम उपरोक्त के साथ मिलकर थाना दानी लिमड़ा, जनपद अहमदाबाद, गुजरात में एक बड़े हवाला कारोबारी से 18 लाख रूपये लूट कर भागने लगे, जिसमें जनता के लोगों द्वारा घेरकर हम लोगों से 18 लाख रूपये का बैग छीन लिया गया और हम सभी वहॉ से भाग गये थे। बाद में हम सभी पकड़े गये एवं गुजरात के उपरोक्त दोनों मुकदमों में 22 माह सूरत/अहमदाबाद जेल में रहे। बाद में हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आए।

इसके अलावा आस—पास के जनपद एवं अन्य प्रदेशों से भी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त को मु0अ0सं0—21/2021 धारा—395/397/120बी/412/504/ 506/201 भादवि और मु0अ0सं0—454/2021 धारा—3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

भाहिद अली उर्फ बाबा पुत्र सामुद अली, निवासी ग्राम काछा भड़रा, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ का ज्ञात आपराधिक इतिहास :—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01.	146/2010	147/148/149/323/504/506/427/307 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
02.	94/2011	110 जी सीआरपीसी	जेठवारा	प्रतापगढ़
03.	395/2015	307/504/506 भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़
04.	410/2015	2/3 उ0प्र0गैंगेस्टर एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
05.	191/2016	110 जी सीआरपीसी	जेठवारा	प्रतापगढ़
06.	/2017	302 भादवि	सचिन	सूरत, (गुजरात)
07.	134/2018	398 भादवि	दानी लिमडा	अहमदाबाद, (गुजरात)
08.	30/2019	307/332/353 भादवि	को0नगर	प्रतापगढ़
09.	31/2019	3/25/27 आर्म्स एक्ट	को0नगर	प्रतापगढ़
10.	**21/2021**	**395/397/120बी/412/504/506/201 भादवि (वांछित)**	**को0नगर**	**प्रतापगढ़**

————————